

समक्ष आरएन मितल जे.

चानन लाल - याचिकाकर्ता,

बनाम

नगर समिति - प्रतिवादी.

सिविल विविध क्रमांक 5329 -सीआईआई 1984

6 मई 1985.

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (1972 का 39)– धारा 1(3)(बी)– मजदूरी अधिनियम का भुगतान (1936 का चतुर्थ)– धारा 2(ii)(जी)– ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान– क्या हरियाणा में नगर पालिकाओं पर लागू हैं– ऐसी नगर पालिकाएं– क्या यह वेतन अधिनियम में 'स्थापना' शब्द के अंतर्गत आती हैं।

आयोजित, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 1(3)(बी) को पढ़ने से पता चलता है कि यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो किसी राज्य में प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी कानून के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी राज्य में उक्त अवधि से संबंधित एक से अधिक कानून हैं तो ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे किसी भी कानून के साथ पढ़ा जा सकता है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 प्रतिष्ठानों से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य सहित सभी राज्यों पर लागू होता है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि हरियाणा में नगर पालिका एक प्रतिष्ठान है या नहीं, वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है। वेतन अधिनियम की धारा 2(ii)(जी) में दी गई 'स्थापना' शब्द की परिभाषा के अनुसार सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव का कार्य करने वाला एक निगम "स्थापना" शब्द में शामिल है। एक नगर पालिका सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव की देखभाल करती है और इसलिए, परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ग्रेच्युटी भुगतान

अधिनियम के प्रावधान हरियाणा राज्य में नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।

(पैरा 2 और 3)

माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को संबोधित श्री चानन लाल का आवेदन प्राप्त होने पर मामले को सिविल विविध के रूप में माना गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति आर. एन. मित्तल ने 4 सितंबर, 1984 को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालती शुल्क के भुगतान के अधीन आवेदन को सीएम के रूप में पंजीकृत किया जाए। आवेदक ने अपने आवेदन में प्रार्थना की कि उसे ग्रेच्युटी का भुगतान करने की अनुमति दी जाए जैसा कि श्री उधम सिंह चौहान सेवानिवृत्त को दी गई थी। सीएम नंबर 2173-सीएच-1983 में एमसी अंबाला के ऑक्ट्रॉय मोहर्रिर का फैसला 24 मई, 1983 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एमआर शर्मा द्वारा किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील त्रिपत मौदगिल।

प्रतिवादी की ओर से दीवान सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे.

(1) संक्षेप में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नगर पालिका पानीपत की सेवा में था और 30 सितंबर, 1981 को वहां से सेवानिवृत्त हुआ था। यह कहा गया है कि उसने 34 साल की अवधि तक यहां सेवा की, लेकिन उसे आज तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक सिविल विविध आवेदन दायर किया और प्रार्थना की कि प्रतिवादी को उसे ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। आवेदन की सूचना नगर पालिका को दी गई थी, जिसने इसका विरोध किया था और दलील दी थी कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (जिसे 'ग्रेच्युटी अधिनियम' कहा जाता है) के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है।

(2) निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान हरियाणा में नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। प्रश्न का निर्धारण करने के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 1(3)(बी) पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार है: -

धारा 1(3) "यह लागू होगा-

(a) X x x x

(b) किसी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में उस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान, जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या नियोजित थे।"

(3) धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ग्रेच्युटी अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो किसी राज्य में प्रतिष्ठानों से संबंधित किसी भी कानून के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी राज्य में उक्त अवधि से संबंधित एक से अधिक कानून हैं, तो ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे किसी भी कानून के साथ पढ़ा जा सकता है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (जिसे 'मजदूरी अधिनियम' कहा जाता है) प्रतिष्ठानों से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य सहित सभी राज्यों पर लागू होता है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि हरियाणा में नगर पालिका एक प्रतिष्ठान है या नहीं, वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है। "स्थापना" शब्द को वेतन अधिनियम के अनुभाग में धारा 2(ii)(जी) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"2. यदि यह अधिनियम, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो: -

(ii) "औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान" का अर्थ है कोई भी-

(छ) ऐसी स्थापना जिसमें इमारतों, सड़कों, पुलों या नहरों के निर्माण, विकास या रखरखाव से संबंधित कोई भी कार्य, या

नेविगेशन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति से जुड़े संचालन से संबंधित, या बिजली या किसी अन्य के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित कार्य सत्ता का स्वरूप चलाया जा रहा है।”

परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव का कार्य करने वाला एक निगम 'स्थापना' शब्द में शामिल है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक नगर पालिका सड़कों के निर्माण, विकास और रखरखाव की देखभाल करती है, और इसलिए, यह उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान प्रतिवादी पर लागू होते हैं।

(4) में पंजाब राज्य बनाम श्रम न्यायालय, जालंधर और अन्य¹ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ऊपर देखे गए मामले में दृढ़ हूं। उस मामले में, पंजाब सरकार के हाइडल विभाग ने "हाइडल अपर बारी दोआद निर्माण परियोजना" के रूप में वर्णित एक परियोजना शुरू की थी। काम पूरा होने पर, इसने अपने कर्मचारियों की छंटनी कर दी और उन्हें छंटनी मुआवजा दिया। कर्मचारियों ने दावा किया कि वे ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार थे। उनके दावे को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए, उन्होंने ग्रेच्युटी की वसूली के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी (2) के तहत श्रम न्यायालय में आवेदन किया। श्रम न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया और माना कि कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार थे। राज्य सरकार ने एक रिट याचिका के माध्यम से श्रम न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय में चुनौती दी जिसे खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चला गया। न्यायालय की ओर से बोलते हुए आर.एस. पाठक, जे. ने पाया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) का खंड (बी) किसी भी कानून के अर्थ के तहत हर प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो एकट हर किसी पर लागू होता है। किसी राज्य में स्थापना इस तरह के प्रतिष्ठान में वेतन

¹ ए आई आर 1979 एस सी 1981।

भुगतान अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) के उप-खंड (जी) के अर्थ के भीतर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल होगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम इसलिए एक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें इमारतों, सड़कों, पुलों या नहरों के निर्माण, विकास या रखरखाव से संबंधित कोई भी काम होता है, या नेविगेशन, सिंचाई या पानी की आपूर्ति से जुड़े संचालन से संबंधित होता है, या बिजली या किसी अन्य प्रकार की बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित किया जा रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि हाइडल अपर बारी दोआब निर्माण परियोजना एक ऐसी स्थापना थी और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम इस पर लागू होता था। उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले को पूरी तरह से कवर करती हैं।

(5) यही प्रश्न *उधम सिंह चौहान बनाम नगर पालिका, अम्बाला*² में इस न्यायालय के समक्ष उठा। शर्मा जे. द्वारा यह देखा गया कि वेतन भुगतान/(सीटी) के प्रावधान नगरपालिका समिति, अंबाला पर लागू होते हैं। उक्त निर्णय का *राम सिंह बनाम नगर पालिका अंबाला*³ (3) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पालन किया गया था।

(6) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 44 (2) की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि यदि राज्य सरकार मंजूरी देती है तो ग्रेच्युटी दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। मैं विवाद से प्रभावित नहीं हूँ। धारा 44(2) उन मामलों पर लागू होती है जहां ग्रेच्युटी का भुगतान घायल कर्मचारी को या अपने कर्तव्य के निष्पादन में मारे गए कर्मचारी के परिवार को किया जाना है। यह नगर पालिका द्वारा अपने अन्य कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में कोई रोक नहीं लगाता है। भले ही यह मान लिया जाए कि धारा अंतर्निहित रूप से ग्रेच्युटी के भुगतान पर रोक लगाती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेच्युटी

² सी एम 2173-सी ii 83 फैसला 24 मई 1984।

³ सी डब्ल्यू 1662 84 फैसला 16 अगस्त 1984।

अधिनियम की धारा 14 में प्रावधान है कि उस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

(7) उपरोक्त कारणों से मैं सिविल विविध को स्वीकार करता हूँ और प्रतिवादी को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश देता हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा